धारा 47 का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, खंड (viक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(viकक) किसी बैंककारी कंपनी की, किसी बैंककारी संस्था के साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई समामेलन की किसी स्कीम में, बैंककारी कंपनियों द्वारा बैंककारी संस्था को किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।"। 1949 का 10

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ; 1949 का 10

(ii) "बैंककारी संस्था का" वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है ;'। 1949 का 10

धारा 49 का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 1 में, खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "या खंड (viक)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (viक) या (viकक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54ङग का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (3) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2006 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां—

(क) ऐसे लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 54ङघ का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां —

(क) ऐसे लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

नई धारा 72कक का अंतःस्थापन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 72क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में उपबंध ।

'72कक. धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (ii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंककारी कंपनी का बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ कोई समामेलन हो गया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवर्तित की गई थी, ऐसी बैंककारी संस्था की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक समझे जाएंगे तथा हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे । 1949 का 10

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संचयित हानि" से "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन समामेलक बैंककारी कंपनी की उतनी हानि (जो किसी सट्टे के कारबार में लगातार हुई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जिसके लिए ऐसी समामेलक बैंककारी कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा करने के लिए हकदार होती, यदि समामेलन नहीं हुआ होता ;

(ii) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ; 1949 का 10

(iii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है ; 1949 का 10

(iv) "शेष अवक्षयण" से समामेलक बैंककारी कंपनी की उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो ऐसी बैंककारी कंपनी को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष रहती है और जिसे अनुज्ञात किया गया होता, यदि समामेलन न हुआ होता ।'।

धारा 73 का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (4) में, "आठ निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "चार निर्धारण वर्षों" शब्द, 1 अप्रैल, 2006 से, रखे जाएंगे ।

नई धारा 80ग का अंतःस्थापन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती ।

'80ग. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, कर से प्रभार्य उसकी आय में से पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त सम्पूर्ण रकम की, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि है, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है, कटौती की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां, वे राशियां होंगी, जो किसी पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के लिए संदत्त या निक्षिप्त की गई हैं,—

(i) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन बीमा को प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए ;

(ii) उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए, जो खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई वार्षिकी योजना नहीं है, संविदा को, प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए :

परंतु यह कि ऐसी संविदा में वार्षिकी के संदाय के बदले में नकद संदाय प्राप्त करने के किसी विकल्प के बीमाकृत द्वारा प्रयोग के लिए कोई उपबंध नहीं है ;

(iii) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यष्टि को संदेय वेतन से ऐसी कटौती के रूप में, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार, उसके लिए आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए या उसकी पत्नी या पति या बालकों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए काटी गई राशि है, जहां तक इस प्रकार काटी गई राशि वेतन के एक बटा पांच भाग से अधिक नहीं होती है ;

1925 का 19

(iv) किसी व्यष्टि द्वारा किसी भविष्य निधि के लिए, जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, अभिदाय के रूप में ;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी भविष्य निधि के लिए किसी अभिदाय के रूप, जहां ऐसा अभिदाय, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम के खाते में है ;

(vi) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में ;

(vii) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में ;

(viii) केन्द्रीय सरकार की ऐसी प्रतिभूति के लिए या किसी ऐसी निक्षेप स्कीम के लिए, जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदान के रूप में ;

1959 का 46

(ix) किसी ऐसे बचतपत्र के लिए, जो सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा (2) में परिभाषित है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में ;

2002 का 58

(x) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट यूनिट-बद्ध बीमा योजना, 1971 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् यूनिट-बद्ध बीमा योजना कहा गया है) में भागीदारी के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में अभिदान के रूप में ;

(xi) धारा 10 के खंड 23घ के अधीन अधिसूचित जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की किसी ऐसी यूनिट-बद्ध बीमा योजना में, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भागीदारी के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में किसी अभिदाय के रूप में ;

(xii) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए, जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी संविदा को प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए ;

(xiii) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि की या प्रशासक से या विनिर्दिष्ट कंपनी से, ऐसी स्कीम के अनुसरण में जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बनाई गई किसी योजना के अधीन किन्हीं यूनिटों में अभिदान के रूप में ;

(xiv) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि द्वारा या प्रशासक द्वारा या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित किसी पेंशन निधि में किसी व्यष्टि द्वारा अभिदाय के रूप में ;

1987 का 53

(xv) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक कहा गया है) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में या उसके द्वारा स्थापित किसी ऐसी पेंशन निधि में, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में ;

(xvi) निम्नलिखित की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में अभिदान के रूप में,—

(क) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का उपबंध करने में लगी हुई है ; या

(ख) आवास वास सुविधा की आवश्यकता से निपटने और उसकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए नगरों, कस्बों और ग्रामों या दोनों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित कोई प्राधिकरण,

जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(xvii) (क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था में ;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजनों के लिए ;

उसके पश्चात् ट्यूशन फीस के रूप में (विकास फीस या संदान या उसी प्रकृति के संदाय मद्दे किसी संदाय को छोड़कर) चाहे प्रवेश के समय ; या

(xviii) किसी आवासिक गृह सम्पत्ति के, जिससे हुई आय, "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है, (या जो यदि निर्धारिती के स्वयं के निवास के लिए उपयोग न की गई होती तो उस शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होती), क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसे संदाय निम्नलिखित मद्दे या के रूप में किए जाते हैं —

(क) किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या अन्य प्राधिकरण की जो स्वामित्वता के आधार पर गृह सम्पत्ति के संनिर्माण और विक्रय में लगा हुआ है, किसी स्वयं वित्त-पोषित या अन्य स्कीम के अधीन शोध्य रकम की कोई किस्त या उसका भागतः संदाय ; या

(ख) किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को जिसका निर्धारिती उसे आबंटित गृह संपत्ति की लागत मद्दे कोई शेयरधारक या सदस्य है, शोध्य रकम की किसी किस्त का या उसका भागतः संदाय ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से उधार ली गई रकम का प्रतिसंदाय—

(1) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ; या

(2) कोई बैंक जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक है ; या

(3) जीवन बीमा निगम ; या

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक ; या

(5) आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण का उपबंध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई लोक कंपनी जो धारा 36 की उपधारा (1) खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ; या

(6) कोई कम्पनी जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है या कोई सहकारी सोसाइटी जहां ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी गृहों के संनिर्माण का वित्तपोषण करने के कारबार में लगी हुई है ; या

(7) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई अन्य निकाय है जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है ; या

(8) निर्धारिती का नियोजक जहां ऐसा नियोजक कोई पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक सेक्टर कम्पनी या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से सहयोजित कोई महाविद्यालय या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई सहकारी सोसाइटी है ; या

(घ) निर्धारिती को ऐसी गृह सम्पत्ति के अंतरण के प्रयोजन के लिए स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय,

किन्तु इसमें निम्नलिखित मद्दे या रूप में कोई संदाय सम्मिलित नहीं है—

(अ) प्रवेश शुल्क, शेयर और आरंभिक निक्षेप की लागत, जिसका किसी कम्पनी के शेयरधारक या किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य को ऐसा शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए संदाय करना है ; या

(आ) गृह सम्पत्ति में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन या नवीकरण या मरम्मत की लागत, जो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह सम्पत्ति के संबंध में समापन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् या गृह सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में लेने या किराए पर देने के पश्चात् की जाती है; या

(इ) कोई व्यय, जिसके संबंध में धारा 24 के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञेय है ;

(xix) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित साधारण शेयरों या पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के भाग रूप डिबेंचरों के लिए अभिदान के रूप में या किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा विहित प्ररूप में किसी पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के लिए अभिदान के रूप में ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है, जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कम्पनी या लोक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और पुरोधरण के सम्पूर्ण आगमों का पूर्णतया या अनन्य रूप से धारा 80झक की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है ;

(ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ; 1956 का 1

(iii) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ; 1956 का 1

(xx) किसी पारस्परिक निधि की जो धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसी पारस्परिक निधि द्वारा विहित रूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, किन्हीं यूनिटों के लिए अभिदान के रूप में :

परन्तु यह कि यह खंड तभी लागू होगा यदि ऐसी यूनिटों के लिए अभिदान की रकम का केवल किसी कम्पनी की पूंजी के उपयुक्त पुरोधरण में अभिदान किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनो के लिए "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई पुरोधरण अभिप्रेत है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय पर केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी सुनिश्चित वास्तविक पूंजी राशि को संगणित करने में निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा,—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किसी प्रीमियम का मूल्य ; या

(ii) बीमाकृत वास्तविक राशि से अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा कोई फायदा, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) उस उपधारा के खंड (i), खंड (v), खंड (x) और खंड (xi) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक ; और

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में उसका कोई सदस्य ;

(ख) उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक ;

(ग) उस उपधारा के खंड (xvii) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।

(5) जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई निर्धारिती,—

(i) उपधारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट अपनी बीमा संविदा को उस आशय की सूचना द्वारा पर्यवसित कर देता है या जहां संविदा किसी प्रीमियम का संदाय करने में असफलता के कारण प्रवर्तन में नहीं रहती है,—

(क) किसी एकल प्रीमियम पालिसी की दशा में, बीमा के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रीमियमों के दो वर्ष तक संदाय करने से पूर्व ; या

बीमा संविदा पुनरुज्जीवित न करके ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (x) या खंड (xi) में निर्दिष्ट किसी यूनिट संबंधी बीमा योजना में, उस आशय की सूचना द्वारा अपनी भागीदारी को पर्यवसित करता है या जहां वह ऐसी भागीदारी के संबंध में अभिदायों को पांच वर्षों तक संदत्त करने से पूर्व अपनी भागीदारी को पुनरुज्जीवित न करके किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहने के कारण भागीदार नहीं रहता है; या

(iii) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें उसके द्वारा ऐसी संपत्ति का कब्जा अभिप्राप्त किया जाता है, पांच वर्षों के अवसान से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xviii) में निर्दिष्ट गृह सम्पत्ति का अंतरण करता है, या प्रतिदाय के रूप में या अन्यथा उस खंड में विनिर्दिष्ट कोई राशि वापस प्राप्त करता है,

तब,—

(क) ऐसे पूर्ववर्ष में, उपधारा (2) के खंड (i), खंड (x), खंड (xi) और खंड (xviii) में निर्दिष्ट संदाय की गई राशियों में से किसी राशि के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) पूर्ववर्ष या ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्वगामी वर्षों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञेय आय की कटौतियों की कुल रकम ऐसे पूर्व वर्ष की निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

(6) यदि, किन्हीं ऐसे साधारण शेयरों या डिबेंचरों का, जिनकी लागत के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है तो पूर्ववर्ष या पूर्ववर्ष के पूर्वगामी वर्ष में, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण होता है, ऐसे साधारण शेयरों या डिबेन्चरों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञात आय की कटौती की कुल रकम निर्धारिती की ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पब्लिक कंपनी के ऐसे शेयरों या डिबेंचरों का उस तारीख को अर्जन कर लिया है, जिसको उसका नाम, यथास्थिति, सदस्यों या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर में उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में प्रविष्ट किया जाता है ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (vii) में निर्दिष्ट बीमा, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि ;

(ख) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xii) से खंड (xiiiक) में निर्दिष्ट यूनिट संबंधी बीमा योजना और वार्षिकी योजना;

(ग) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xiiiग) से खंड (xivक) में निर्दिष्ट पेंशन निधि और निक्षेप स्कीम में अभिदान ;

(घ) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी आवासिक गृह के क्रय या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई रकम,

इस धारा के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी और कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

(8) इस धारा में,—

2002 का 58

(i) "प्रशासक" से ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट है ;

(ii) किसी निधि में "अभिदाय" में उधार के प्रतिसंदाय में कोई राशियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(iii) "बीमा" के अंतर्गत निम्नलिखित होगा,—

(क) किसी व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति या बालक या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की जीवन संबंधी बीमा पालिसी जो परिपक्वता की नियत तारीख को विनिर्दिष्ट रकम का संदाय सुनिश्चित करती हो, यदि ऐसा व्यक्ति उस तारीख को जीवित हो इस बात के होते हुए भी कि बीमा पालिसी केवल ऐसे व्यक्ति की उक्त नियत तारीख के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में संदाय किए गए प्रीमियमों की (उन पर ब्याज सहित या उसके बिना) वापसी के लिए उपबंध करती है ;

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा किसी अवयस्क के फायदे के लिए उस अवयस्क को, उसको वयस्कता प्राप्त कर लेने के पश्चात्, उसके अपने जीवन के संबंध में उस पालिसी को अंगीकृत करके और उसके

जीवित रहने की दशा में इस निमित्त पालिसी में विनिर्दिष्ट (ऐसे अंगीकृत किए जाने के पश्चात्) बीमा सुनिश्चित करने के लिए बीमा किया गया है ;

(iv) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है ; 1956 का 31

(v) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ; 1956 का 1

(vi) "प्रतिभूति" से कोई सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित है ; 1944 का 18

(vii) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट है ; 2002 का 58

(viii) "अंतरण" के अंतर्गत धारा 269पक के खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहार भी सम्मिलित समझा जाएगा ।'।

धारा 80गगग का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती धारा 80ग के अधीन 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।" ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई रिबेट 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

नई धारा 80गगङ का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा।

"80गगङ. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 80ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

'80ङ. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की कर से प्रभार्य उसकी आय में से कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती आरम्भिक निर्धारण वर्ष और आरंभिक वर्ष से ठीक आगामी सात निर्धारण वर्षों के संबंध में या निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज के संदत्त किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कुल आय की संगणना करने में पूर्ण रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुमोदित पूर्त संस्था" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) में विनिर्दिष्ट संस्था या उसके अधीन पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था अथवा धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई संस्था ;

(ख) "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंककारी कंपनी, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; या कोई ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; 1944 का 10

(ग) "उच्चतर शिक्षा" से इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, प्रबंध में किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए या अनुपर्युक्त विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में, जिसके अंतर्गत गणित और सांख्यिकी हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक अध्ययन अभिप्रेत है ;

(घ) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें निर्धारिती उधार पर ब्याज का संदाय करना आरंभ करता है ।'।